भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर म0प्र0

(27)

प्र. क्र. रिव्यू/ /अध्यक्ष/2016 R23-3789-PBR-16

रोटरी क्लब बुरहानपुर जर्ये अध्यक्ष प्रशांत सराफ पुत्र श्री सुरेश भाई सराफ निवासी बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर.....प्रार्थी

श्री जगदीश श्रीवास्तव अधि॰ द्वारा दिनांक 2.11.16 को प्रस्तुत। 2.11.16

बनाम

1. प्रमुख सचिव म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल
2. आयुक्त महोदय संभाग इंदौर
3. माननीय कलेक्टर जिला बुरहानुपर म0प्र0 .

प्रतिप्रार्थीगण

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर (श्रीमनोज गोयल)के द्वारा प्रकरण प्रकरण कमांक 3644/2/2013 मे पारित आदेश दिनांकी 27.07.2016 के निर्णय के विरूद्ध पुर्नर्विलोकन</u>

श्रीमान जी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3789—पीबीआर/2016 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4—1—2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—7—2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण कमांक 3644—दो/2013 में पारित आदेश दिनांक 27—7—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :— 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	